मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

निजी वेयरहाउस संचालकों के गोदाम विभिन्न संयुक्त भागीदारी योजना में लेने बावत

प्र.1 क्या वर्ष 2014–15 हेतु गोदामों का पृथक से रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कराना होगा ?

उ.1 गोदामों का रजिस्ट्रेशन 3 वर्षों हेतु किया गया है अतः जिन गोदामों का विगत वर्ष रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको इस वर्ष पृथक से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्र.2 क्या नये गोदाम जो इस वर्ष निर्मित हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ?

उ.2 हॉ, **MPWLC** की संयुक्त भागीदारी योजना में **Online** प्रस्ताव देने हेतु गोदाम संचालक को अपने गोदाम का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कराना होगा।

प्र.3 संयुक्त भागीदारी योजना का ऑनलाईन ऑफर क्या पृथक से करना होगा ?

उ.3 गोदामों का पंजीयन होने के उपरान्त संयुक्त भागीदारी योजना की विभिन्न योजनाओं हेतु **Online** प्रस्ताव प्रस्तुत करना है ।

प्र.4 रूपये 0.10(दस पैसा) प्रति मे.टन सर्विस चार्ज कब देना है ?

उ.4 निजी गोदाम संचालक को संयुक्त भागीदारी योजना हेतु अपने गोदाम का **Online** प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर राशि रूपये 0.10(दस पैसा) प्रति मे.टन की दर से ''सर्विस चार्ज'' जमा करना होगा ।

प्र.5 गोदामों का **Online** प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरान्त कितने दिनों में परिशिष्ट **'A'** एवं **'B'** अनुसार सामग्री उपलब्ध होना चाहिए ?

उ.5 **Online Offer** प्रस्तुत करने के उपरान्त गोदाम का निरीक्षण किया जाना है जिसमें परिशिष्ट **'A'** एवं **'B'** अनुसार सामग्री/संसाधन की उपलब्धता का भी परीक्षण किया जाना है अतः **Online** प्रस्ताव प्रस्तुत करते ही सामग्री/संसाधन गोदाम पर उपलब्ध होना अनिवार्य है ।

प्र.6 क्या संयुक्त भागीदारी योजना राशि रू. 30/– में सुरक्षा कर्मी निजी गोदाम संचालक को उपलब्ध नहीं कराना है ?

उ.6 संयुक्त भागीदारी योजना राशि रू. 30/– में सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था **MPWLC** द्वारा की जावेगी अर्थात निजी गोदाम संचालक को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं कराना है । जे.व्ही.योजना राशि रूपये 40/– में सुरक्षा कर्मी गोदाम संचालक को उपलब्ध कराना है ।

प्र.7 क्या संयुक्त भागीदारी योजना राशि रू. 30/– मे फ्यूमीगेशन कवर (सैण्ड स्नेक सहित) की अनिवार्यता रखी गयी है ?

उ.7 हॉ, इस वर्ष संयुक्त भागीदारी योजना राशि रू. 30/– मे फ्यूमीगेशन कवर (सैण्ड स्नेक सहित) की अनिवार्यता रखी गयी है ।

प्र.8 क्या संयुक्त भागीदारी योजना राशि रू. 40/– में फ्यूमीगेशन कवर (सैण्ड स्नेक सहित) गोदाम संचालक से लिये जाना हैं ?

उ.8 हॉ, इस वर्ष की समस्त संयुक्त भागीदारी योजनाओं में फ्यूमीगेशन कवर (सैण्ड स्नेक सहित) लिये जाना हैं क्योंकि संयुक्त भागीदारी योजना राशि रू. 40/– में परिशिष्ट "**A**"एवं परिशिष्ट "**B**" दोनों की अनिवार्यता रखी गयी है ।

प्र.9 क्या इस वर्ष गोदाम किराये की योजना राशि रू.15/– प्रति मे.टन प्रतिमाह लागू नहीं रहेगी ?

उ.9 **MPWLC** की गोदाम किराया योजना पूर्वानुसार ही यथावत रहेगी जिसके लिए गोदाम किराये का प्रस्ताव गोदाम संचालक से प्राप्त कर पूर्व प्रावधान अनुसार गोदाम करारनामा निजी गोदाम संचालक से निष्पादित किया जावेगा।

प्र.10 गोदाम के निरीक्षण उपरान्त गोदाम अनफिट/अनुपयुक्त होने पर क्या गोदाम संचालक को अवगत कराया जावेगा ?

उ.10 हॉ, गोदाम के निरीक्षण उपरान्त पाई गई कमियां जिनके कारण गोदाम अनुपयुक्त बताया गया है, गोदाम संचालक को रजिस्टर्ड कराये गये मोबाइल नंबर पर **SMS** भेज कर अवगत कराया जायेगा ।

प्र.11 निरीक्षण में गोदाम अनफिट पाये जाने पर क्या गोदाम दोबारा संयुक्त भागीदारी योजना में सम्मिलित हो सकेंगे ?

उ.11 हॉ, निश्चित तौर पर सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु ऐसे निजी गोदाम संचालकों को निरीक्षण में पाए गए उन बिन्दुओं को जिनके कारण गोदाम अनफिट हुआ था उन्हें सुधार कर **MPWLC** के शाखा प्रबंधक को लिखित में अवगत कराना होगा जिसका **MPWLC** के शाखा प्रबंधक द्वारा पुनः निरीक्षण किया जावेगा ।

पुनः किये गये निरीक्षण में गोदाम " अनफिट " होने पर गोदाम संयुक्त भागीदारी योजना में सम्मिलित किये जावेंगे ।

प्र.12 गोदामों के अनुबंध किसके साथ निष्पादित किये जायेंगे ?

उ.12 संयुक्त भागीदारी योजना राशि रूपये 30/— एवं राशि रूपये 40/— के ''द्विपक्षीय अनुबंध'' निष्पादित होना है जिसके लिए MPWLC के स्थानीय शाखा प्रबंधक अधिकृत हैं, किन्तु WDRA रजिस्टर्ड गोदाम जिनके लिए राशि रूपये 50/— का प्रावधान है उनके लिए ''त्रिपक्षीय अनुबंध'' जिसमें MPWLC की ओर से स्थानीय शाखा प्रबंधक एवं MPSCSC से उनके प्रतिनिधि अधिकृत हैं उनके साथ अनुबंध निष्पादित किये जायेंगे ।

प्र.13 संयुक्त भागीदारी योजना हेतु अनुबंध निष्पादन हेतु राशि रूपये 100/—का स्टाम्प पेपर किसके द्वारा खरीदा जायेगा ?

उ.13 अनुबंध निष्पादन हेतु राशि रूपये 100/— का स्टाम्प पेपर निजी गोदाम संचालक द्वारा क्रय किया जायेगा ।

प्र.14 निष्पादित अनुबंध को नोटरी से नोटराईज कब कराना है ?

उ.14 अनुमोदित अनुबंध प्रारूप में राशि रूपये 100/— के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध टंकण कराकर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर उपरान्त नोटरी से ''नोटराईज'' कराना होगा ।

प्र.15 4½ माह की व्यवसाय गारंटी हेतु संयुक्त भागीदारी योजना का ऑनलाईन प्रस्ताव कब तक दिया जाकर अनुबंध निष्पादित किया जाना है ?

उ.15 विपणन वर्ष 2014—15 की योजना हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी जिसमें उल्लेखित दिनांक तक विभिन्न संयुक्त भागीदारी योजना के प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत करते हुए अनुबंध निष्पादित करने पर ही 4½ माह की व्यवसाय गारंटी प्रदान की जावेगी ।

प्र.16 निर्धारित दिनांक पश्चात संयुक्त भागीदारी योजना का ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने पर क्या गोदाम संयुक्त भागीदारी योजना में नहीं लिये जावेंगे ?

उ.16 निर्धारित दिनांक के पश्चात भी गोदाम संयुक्त भागीदारी योजना में लिये जावेंगे किन्तु उन्हें 4½ माह की व्यवसाय गारंटी प्रदान नहीं की जावेगी ।

प्र.17 विपणन वर्ष 2014–15 हेतु 4½ माह की व्यवसाय गारंटी अथवा बिना व्यवसाय गारंटी के लिए क्या पृथक–पृथक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किये जाना हैं ?

उ.17 नहीं, रबी विपणन वर्ष 2014–15 में लागू की गयी संयुक्त भागीदारी योजना हेतु 4½ माह की व्यवसाय गारंटी अथवा बिना व्यवसाय गारंटी का एक ही अनुबंध प्रारूप रखा गया है ।

प्र.18 क्या संयुक्त भागीदारी योजना राशि रूपये 30/–एवं राशि रूपये 40/–हेतु एक ही अनुबंध प्रारूप निर्धारित किया गया है ?

उ.18 हॉ,एक ही अनुबंध प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसमें अनुबंध के पृष्ठ क्र.2 पर संयुक्त भागीदारी योजना में राशि रूपये ..../–का उल्लेख करते हुए (पूर्ण/आंशिक क्षमता) का एक ही अनुबंध निष्पादित किया जाना है ।

प्र.19 विगत वर्ष के संयुक्त भागीदारी योजना में अनुबंधित गोदाम आंशिक रिक्त होने के बावजूद गोदाम संचालक द्वारा विपणन वर्ष 2014–15 के नवीन अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर क्या व्यवस्था रहेगी ?

उ.19 नवीन अनुबंध नहीं करने पर पूर्व अनुबंध में प्रावधानित शर्त अनुसार स्कंध के अंतिम भुगतान तक पुराना अनुबंध प्रभावशील रहेगा, अर्थात स्कंध के उठाव से रिक्त क्षमता पर इस वर्ष का मात्र उपार्जित गेहूं भण्डारित किया जा सकेगा जिसके लिए किसी प्रकार की व्यवसाय गारंटी प्रदान नहीं की जायेगी । गोदाम संचालक को पूर्व अनुबंध में चुने गये विकल्प अनुसार वास्तविक भण्डारित मात्रा एवं अवधि के अनुसार भुगतान किया जावेगा ।

प्र.20 क्या जिनके गोदामों में विपणन वर्ष 2014–15 का उपार्जित गेहूं, चना, तुअर भण्डारित नहीं होगा उन्हें कोई राशि भुगतान नहीं होगी ?

उ.20 जिन गोदामों में विपणन वर्ष 2014–15 का उपार्जित गेहूं, चना, तुअर भण्डारित नहीं होगा उन्हें 4½ माह की व्यवसाय गारंटी अवधि के लिए कुल देय राशि का 10 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा ।

किन्तु 4½ माह की व्यवसाय गारंटी अवधि में उक्त गोदाम पर बारदाना गठानें/बण्डल आदि विशेष परिस्थितियों में यदि भण्डारित किया जाता है तो उससे प्राप्त आय अथवा 10 प्रतिशत राशि जो भी अधिक होगी, गोदाम संचालक को भुगतान की जावेगी ।

प्र.21 क्या ऐसे गोदाम जिनमें उपार्जित स्कंध का भण्डारण नहीं हुआ है वे 4½ माह से पूर्व रिक्त नहीं हो सकेंगे ?

उ.21 पृथक–पृथक जिलों के लिए शासन द्वारा पृथक–पृथक उपार्जन की प्रारंभिक तिथि निर्धारित की जाती है अतः गेहूं उपार्जन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रथम तिथि से 4½ माह तक उक्त गोदाम रिक्त नहीं किये जावेंगे ।

किन्तु निजी गोदाम संचालक उपार्जन सीजन समाप्ति होने के बाद गोदाम की लिखित में मांग करता है तो गोदाम संचालक को देय 10 प्रतिशत अनुपातिक राशि उतनी अवधि की कम करते हुए शेष राशि गोदाम वापस की जा सकेगी ।

प्र.22 जे.व्ही.योजना में ली जाने वाली गोदाम की भण्डारण क्षमता का आंकलन कैसे होगा ?

उ.22 गोदाम की वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का आंकलन निम्न सूत्र के अन्तर्गत किया जावेगा, जिसके अनुसार ऑकलित की गई क्षमता को ही संयुक्त भागीदारी योजनान्तर्गत अनुबंधित किया जा सकेगा।

$$\text{गोदाम की गणना का सूत्र} = \frac{L \times B \times (H-3)}{80}$$

L= गोदाम की लंबाई फुट में, B= गोदाम की चौड़ाई फुट में,H= गोदाम की ऊंचाई फुट में,

नोटः– गोदाम की ऊंचाई अधिकतम 18 फिट तक ही गणना की जावे।

प्र.23 क्या जे.व्ही.एस.योजना में आंशिक क्षमता की गोदाम ली जा सकेंगी ?

उ.23 नहीं लिये जावेंगे, किन्तु ऐसे गोदाम जो पूर्व में **MPWLC** के अधिपत्य में हैं उनके उठाव से रिक्त आंशिक क्षमता जिसकी क्षमता कम से कम 500 मे.टन है ली जा सकेंगी ।

प्र.24 ऐसी आंशिक क्षमता जो व्यापारी के आधिपत्य मे है उसमें ली जा सकेगी ?

उ.24 नहीं, ली जा सकेगी ।

प्र.25 सुरक्षा कर्मियों को गोदाम संचालक द्वारा भुगतान किये जाने वाले वेतन की क्या व्यवस्था रहेगी ?

उ.25 निजी गोदाम संचालकों द्वारा अपने गोदामों में ड्यूटी पर लगने वाले सुरक्षा कर्मियों को वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में जमा कराया जायेगा जिसकी प्रमाणित जानकारी प्रतिमाह **MPWLC** के शाखा प्रबंधक को जे.व्ही.एस. के देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी । साथ ही निजी गोदाम संचालक को ही श्रम नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा ।

प्र.26 प्रतिभूति की राशि किस प्रकार जमा की जायेगी ?

उ.26 अनुबंध निष्पादन के समय निजी गोदाम संचालक राशि रूपये 10/– प्रति मे.टन की दर से प्रतिभूति राशि **FDR.** के रूप में निगम के पक्ष में जमा कर सकेगा ।

प्र.27 प्रतिभूति की राशि अनुबंध के समय **FDR** के रूप में जमा नहीं किये जाने पर प्रतिभूति की राशि जमा करने का क्या विकल्प रहेगा ?

उ.27 अनुबंध निष्पादन के समय यदि गोदाम संचालक **FDR** के रूप में जमा नही करता है तो प्रतिभूति की राशि रूपये 10/– प्रति मे.टन की दर से प्रथम पक्षकार (क्षेत्रीय प्रबंधक) द्वारा द्वितीय पक्षकार को देय प्रथम देयक की राशि में से कटौत्रा की जावेगी। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

प्र.28 क्या संयुक्त भागीदारी योजना में भण्डारण उपार्जित गेहूं के उठाव उपरान्त आंशिक रिक्त होने वाली क्षमता में अन्य स्कंध का भण्डारण किया जा सकता है ?

उ.28 रिक्त हुई क्षमता में अन्य स्कंध का भण्डारण **MPWLC** द्वारा किया जा सकता है, किन्तु निजी गोदाम संचालक स्वतः नहीं कर सकता है जिसकी वेयरहाउस रसीद **MPWLC** द्वारा जारी की जायेगी एवं प्रावधान अनुसार प्राप्त भण्डारण शुल्क की अनुपातिक राशि निजी गोदाम संचालकों को भुगतान की जावेगी ।

प्र.29 **WDRA** गोदामों में उपार्जित गेहूं के उठाव से रिक्त क्षमता में निजी गोदाम संचालक अन्य स्कंध का भण्डारण कर सकता है ?

उ.29 नहीं, कर सकता है ।

प्र.30 गोदामों में अधिकतम उपयोगिता कितनी प्रतिशत रखी जा सकती है ?

उ.30 **WDRA** के गोदामों का सुपरवीजन स्वतः गोदाम संचालक को करना है जिसके लिए फ्यूमीगेशन कवर आदि की व्यवस्था उनके द्वारा ही सुनिश्चित कराई जाना है अतः ऐसे गोदामों में अनुबंधित क्षमता से अधिकतम 125 प्रतिशत तक उपयोग करते हुए उपार्जित गेहूं का भण्डारण किया जा सकता है ।

प्र.31 क्या फ्यूमीगेशन कव्हर (सेण्ड स्नेक सहित) इस वर्ष सभी संयुक्त भागीदारी योजनाओं में लेना अनिवार्य रखा गया है ।

उ.31 हॉ, इस वर्ष सभी संयुक्त भागीदारी योजनाओं में ''फ्यूमीगेशन कव्हर'' (सेण्ड स्नेक सहित) गोदाम की क्षमता अनुसार संख्या में उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

प्र.32 अनुबंध के साथ क्या निरस्त चैक देना आवश्यक है ?

उ.32 हॉ, निजी गोदाम संचालक को अनुबंध के साथ निरस्त चैक देना अनिवार्य है ताकि उन्हें देय भण्डारण शुल्क राशि RTGS के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा सके ।

प्र.33 गोदामों की उपयोगिता कितने प्रतिशत तक रखी जा सकती है ।

उ.33 निजी गोदाम संचालकों द्वारा वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता में स्टेक की हाईट बढ़ाते हुए एक स्टेक में 150 मे.टन के स्थान पर 181 मे.टन तक स्कंध भण्डारित किया जा सकेगा अर्थात गोदाम की उपयोगिता 125 प्रतिशत रखी जा सकती है ।

प्र.34 क्या धान भण्डारण हेतु पृथक से JVS. अनुबंध करना होगा ?

उ.34 शासन द्वारा संयुक्त भागीदारी योजना विपणन वर्ष 2014–15 हेतु अनुमोदित की गयी हैं अर्थात विपणन वर्ष 2014–15 में भण्डारित होने वाले समस्त स्कंध/खाद्यान्न हेतु एक ही अनुबंध किया जाना है पृथक से अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्र.35 विपणन वर्ष 2014–15 के अनुबंधित गोदामों को रिक्त करने की क्या प्रक्रिया रहेगी ?

उ.35 जे.व्ही.योजनान्तर्गत अनुबंधित गोदामों में भण्डारित स्कंध के उठाव उपरान्त आपसी सहमति से गोदाम आधिपत्य में दिये जावेंगे ।

प्र.36 FDR.कब और कैसे रिलीज होगी ?

उ.36 निजी गोदाम संचालकों के गोदामों में भण्डारित स्कंध के पूर्ण उठाव उपरांत गोदाम संचालक पर किसी प्रकार के देनदारियां शेष नहीं होने का नो–डॅयूज सर्टिफिकेट शाखा प्रबंधक से प्राप्त कर संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा के रिलीज की जा सकेगी ।

प्र.37 4½ व्यवसाय गारंटी की राशि का भुगतान कैसे किया जायेगा ?

उ.37 4½ माह की व्यवसाय गारंटी प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी है अर्थात विपणन वर्ष 2014–15 के उपार्जित स्कंध गेहूं, चना तुअर के प्रथम भण्डारण दिनांक उपरान्त पृथक से देयक तैयार कर शासन से राशि प्राप्त किये जाने के पश्चात गोदाम संचालकों को भुगतान की जावेगी ।

प्र.38 स्कंध का जमा एवं भुगतान की क्या प्राथमिकता रहेगी ?

उ.38 गोदामों में विपणन वर्ष 2014–15 हेतु उपार्जित स्कंध का भण्डारण ''प्रथम आओ प्रथम पाओ''तथा उपार्जन केन्द्र से भण्डारण स्थल की कम से कम दूरी के सिद्धांतों पर किया जावेगा । **''प्रथम आओ प्रथम पाओ''** संयुक्त भागीदारी योजना हेतु किये गये ''ऑन लाईन ऑफर' के कमानुसार निर्धारित किया जावेगा ।

शासकीय तथा संयुक्त भागीदारी योजना में अनुबंधित गोदामों में भण्डारण का क्रम निम्नानुसार है :–

- PEG.अन्तर्गत शासकीय/निजी गोदाम ।
- शासकीय/किराये के गोदाम ।
- संयुक्त भागीदारी योजनान्तर्गत WDRA अनुबंधित गोदाम ।
- संयुक्त भागीदारी योजना राशि रूपये 40/– अन्तर्गत अनुबंधित गोदाम ।
- संयुक्त भागीदारी योजना राशि रूपये 30/– अन्तर्गत अनुबंधित गोदाम ।
- जिला कलेक्टर द्वारा अधिग्रहित किये गये गोदाम ।
- मण्डी के शेड ।
- पक्के कैप ।
- कच्चे कैप

उपरोक्त क्रम में भण्डारण किये जाने के उपरान्त उसके विपरीत क्रम में स्कंध का भुगतान किया जावेगा ।

किन्तु 4½ माह की व्यवसाय गारंटी अंतर्गत लिये गये संयुक्त भागीदारी की गोदामों से स्कंध का भुगतान 4½ माह पूर्व नहीं किया जावेगा ।

''निर्यात'' किये जाने वाले स्कंध अथवा ''क्षतिग्रस्त'' होने वाले स्कंध के निराकरण हेतु उपरोक्त प्रावधानित सिद्धांत लागू नहीं होंगे ।

प्र.39 निर्धारित दिनांक तक अनुबंध न करने पर क्या व्यवसाय गारंटी देय होगी ?

उ.39 नहीं, निर्धारित दिनांक के पश्चात् बिना व्यवसाय गारंटी के अनुबंध निष्पादित किये जाकर गोदाम लिये जायेंगे ।

प्र.40 निर्धारित दिनांक के पश्चात बिना व्यवसाय गारंटी के गोदामों के ऑनलाईन प्रस्ताव पर भी राशि रू. 0.10(दस पैसा)प्रति मे.टन की दर से सर्विस चार्ज देना होगा ?

उ.40 हॉ, निर्धारित दिनांक के उपरान्त ''ऑन लाईन ऑफर'' के साथ–साथ राशि रूपये 0.10(दस पैसा) प्रति मे.टन की दर से सर्विस चार्ज जमा करते हुए चुने गये विकल्प अनुसार संयुक्त भागीदारी योजना का अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

प्र.41 प्रथम भण्डारण दिनांक की सूचना कैसे दी जायेगी ?

उ.41 रबी विपणन वर्ष 2014–15 में उपार्जित खाद्यान्न (गेहू, चना, तुअर) के प्रथम भण्डारण दिनांक की सूचना 'X' प्रारूप में जमाकर्ता के प्रतिनिधि (MPSCSC, MARKFED or NAFED) के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को छायाप्रति भेजते हुए मुख्य प्रति शाखा में रखी जाना है ।

प्र.42 WDRA पंजीकृत गोदाम संचालकों से कितनी क्षमता का अनुबंध करना होगा ?

उ.42 WDRA के तहत निजी गोदाम संचालक द्वारा जितने मे.टन क्षमता का लायसेंस प्राप्त किया जावेगा उतनी ही क्षमता का अनुबंध निष्पादित किया जावेगा ।

प्र.43 क्या WDRA के तहत पंजीकृत गोदाम संचालक को राशि रूपये 50/- प्रति मे.टन प्रतिमाह की संयुक्त भागीदारी योजना में अनुबंध निष्पादित करने की बाध्यता है ?

उ.43 नहीं, WDRA पंजीकृत गोदाम संचालक किसी भी संयुक्त भागीदारी योजना आवश्यक सुविधा/संसाधन अनुसार अनुबंध निष्पादित कर सकते हैं ।

प्र.44 संयुक्त भागीदारी योजना के देयकों में क्या निजी गोदाम संचालक के हस्ताक्षर कराये जाना हैं ?

उ.44 पूर्व में ही समस्त संयुक्त भागीदारी योजना के देयको पर गोदाम संचालक के हस्ताक्षर लिये जाने के निर्देश हैं ।

संयुक्त भागीदारी योजना के देयक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक तैयार करते हुए गोदाम संचालक के काउंटर हस्ताक्षर कराकर देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाना हैं ।

नोटः- गोदाम मालिक संयुक्त भागीदारी योजना के ऑनलाईन आफर करने में साफ्टवेयर संबंधी समस्या के समाधान हेतु MPOnline के निम्न नंबरों पर सम्पर्क करें ।

1. श्री एस.एन.सुमन मो.नंबर 09826482746

2. MPOnline के हेल्पलाईन नंबर 0755-4019401, 4019402, 4019403, 4019404, 4019405, 4019406, तथा MPWLC के कम्प्यूटर सेक्शन के नंबर 0755 2600505 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है

महाप्रबंधक(वाणिज्य)

9425004669